

सबके लिए सुनिश्चित बिजली

अहम् चुनौतिया और संभाव्य पर्याय

प्रयास ऊर्जा समूह और पुणे इंटरनशनल सेंटर द्वारा आयोजित बैठक का संक्षिप्त विवरण

पुणे , १८ फरवरी २०१२.

करीब ८ करोड़ घरों को बिजली मुहय्या कराना है और ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की आत्यंतिक कमी है इसके चलते सभी को गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति करना भारत के लिए एक कठिन चुनौती है । राष्ट्रीय प्रतिबद्धता एवं विकास को मद्देनजर रखते हुए हमें इस चुनौती का सामना करना अत्यंत जरूरी है। इस राष्ट्रीय ध्येय को साध्य करने के लिये विभिन्न पर्यायों को जांचने के लिए प्रयास ऊर्जा समूह और पुणे इंटरनशनल सेंटर द्वारा १८ फरवरी २०१२ को पुणे में एक बैठक का आयोजन किया गया। केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री श्री. सुशीलकुमार शिंदे इसके मुख्य अतिथी थे। ऊर्जा मंत्रालय, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, विविध वित्त संस्थाए, नियामक आयोग, विविध (जमीनी) संगठनों , अनुसंधान , खोजी तथा बिजली क्षेत्र से सम्बंधित अनेक संस्थाओं के अधिकारी / प्रतिनिधी इस बैठक में शामिल हुए। इस बैठक के दौरान हुई चर्चा से उभरे अहम् मुद्दे और बैठक की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण आगे दिया है।

बैठक की शुरुआत प्रयास द्वारा तैयार किये गये एक 'पार्श्वभूमी मसौदे' पर आधारित प्रस्तुती से हुई इस प्रस्तुती में इस बात पर जोर दिया गया कि भारत के जिन परिवार में बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं है उन में से ७५ % परिवार केवल ६ राज्यों मे (बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और राजस्थान) हैं।

पिछले कुछ वर्षों से राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना ने काफी प्रगति हासिल की है। विभिन्न रिपोर्ट के अनुसार १.८ करोड़ ग्रामीण घरों को ग्रिड से जोडा गया हैं। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण ७४ % से ९२ % तक बढ़ा है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के घरों को अक्सर रोजाना केवल ६ से ८ घंटे ही बिजली उपलब्ध होती है। अभी भी कई गावों का विद्युतीकरण होना बाकी है। गरीबी रेखा के उपरवाले कई घरों ने बिजली के जोड नहीं लिए हैं। इस से राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में लगे निवेश का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। जब तक बिजली की आपूर्ति में ठोस बढ़ोतरी नहीं की जाती तब तक राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में निर्मित संसाधनों की तेजी से दुरवस्था होती रहेगी।

ग्रामीण इलाकों में बिजली की आपूर्ति की कमी के पीछे एक महत्व का कारण यह है कि यह आपूर्ति करना वितरण कंपनियों को आर्थिक दृष्टी से व्यावहारिक नहीं लगता। इस में काफी निवेश करना पडता है। आवर्ती व्यय ज्यादा और वसूली कम होने से प्रति यूनिट करीब रु. ३.९० का घाटा होता है। पहले से ही आर्थिक संकट से दबे हुए वितरण कंपनियों को ग्रामीण क्षेत्र में बिजली मुहय्या कराने में इसी संरचनात्मक चुनौती का सामना करना पडता है।

इस समस्या के हल के रूप में प्रयास ने एक सुझाव रखा है। केंद्र सरकार द्वारा कड़ी निगरानी के समझौते, और सुचारू रूप से २४ घंटे बिजली उपलब्ध कराने की शर्त पर वितरण कंपनियों को सस्ती बिजली स्थिर दरों में उपलब्ध करायी जाये।

प्रयास का सुझाव है कि २०० W प्रति घर के मानदंड के हिसाब से, निर्देशित जिलों के लिए वितरण कंपनियों को सस्ती बिजली निश्चित दरों में (रु. २.५ / kWh) आबंटित करायी जाये। SPV (स्पेशल परपज व्हेईकल) द्वारा स्पर्धात्मक निविदा या आबद्ध खदानों से कोयले की बोली के माध्यम से बिजली खरीद समझौते करके यह बिजली खरीदी जा सकती है। एक अलग समझौते के अंतर्गत घरों को नियमित एवं निरंतर बिजली आपूर्ति करने की शर्त पर यह बिजली SPV द्वारा वितरण कंपनियों को सस्ते दरों में दी जा सकती है। शून्य लोड शेडिंग सुनिश्चित करने के लिए राज्य नियामक आयोग या विभागीय भार प्रेषण केंद्र द्वारा स्वयंचलित मीटर के जरिए फीडर लोड डेटा से वितरण कंपनियों पर निगरानी रखी जा सकती है। बिजली खरीद समझौते का अनुपालन न करनेवाली वितरण कंपनियों की बिजली आपूर्ति खारिज करके दूसरे वितरण कंपनियों को यह बिजली आबंटित की जा सकती है।

यह सुझाव पर कार्यवाही करने के लिए करीब १४,००० MW क्षमता की जरूरत है। अगर स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया से रु. ३.५ / kWh दर पर बिजली खरीद की गयी और बिक्री रु. २.५ / kWh से, तो इसके लिए केन्द्र से सालाना रु. १०,००० करोड़ की मदद जरूरी होगी। वैकल्पिक रूप से इसी १४,००० MW क्षमता के लिए खदान से करीब ९ करोड़ टन सालाना कोयला आरक्षित किया जाये तो राजकोष पर बोझ नहीं पड़ेगा। १४,००० MW के इस निवेश से १७० पिछड़े जिलों में से ७ करोड़ ग्रामीण घरों को , जिन की आबादी २५ करोड़ हैं, उच्च गुणवत्ता की बिजली मुहय्या हो सकती है।

बैठक में यह सुझाव चर्चा के लिए रखा गया और उस पर विस्तार से चर्चा हुई।

परिचर्चा में उभरे अहम मुद्दे.

1. संरचनात्मक कठिनाईयों को सुलझाए बिना “ सब के लिए बिजली ” मुहय्या नहीं करायी जा सकती। इसके लिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को पुनर्रचित करना पड़ेगा और केन्द्र सरकार से मदद लेनी पड़ेगी।
2. संरचनात्मक कठिनाईयों को सुलझाने के अनेक पर्याय हैं। उपभोक्ताओं को सीधे नकद हस्तांतरण करना, वितरण कंपनियों को नकद हस्तांतरण करना या वितरण कंपनियों को सस्ती बिजली देना। चुना हुआ पर्याय आसानी से कार्यान्वित होना चाहिये एवं राजकोषीय बोझ समयानुसार कम करने के लिए भविष्य में केन्द्रीय मदद की जरूरत कम करने की गुंजाईश होनी चाहिए। इस दृष्टी से पहले दो पर्यायों में काफी कठिनाईयाँ हैं। इसी लिए वितरण कंपनियों को सस्ती बिजली देने का पर्याय सबसे बेहतर लगता है।
3. सस्ती बिजली मुहय्या कराने के लिये पूरे राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिए कोयला खदानों को आरक्षित / आबंटित करने का भी एक सुझाव है। आदरणीय मंत्री महोदय और अन्य लोगो

ने भी इसका स्वागत किया। समाज के निचले और दुर्बल तबके को सशक्त बनाने में देश के नैसर्गिक संसाधनों का यह सबसे अच्छा उपयोग है। इसमें राजकोषीय बोझ पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा।

4. इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन अनुबंधीय व्यवस्थाओं के कारगर परिपालन और अच्छी निगरानी व्यवस्था पर निर्भर होगा। यह तभी संभव है जब सभी सम्बंधित और राज्य सरकारें राजकीय प्रतिबद्धता के साथ इस सुझाव को कार्यान्वित करते हैं। शून्य लोड शेडिंग की शर्तों पर सस्ती बिजली उपलब्ध होती है तो ग्रामीण इलाकों की हालात में काफी सुधार होंगे, लोगों की अपेक्षाएँ बढ़ेंगी और निरंतर बिजली आपूर्ति के लिए राज्यों पर दबाव बढ़ेगा। इसमें जवाबदेही बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन का उपयोग करके दूरस्थ पुनर्भरण (Remote Recharge) द्वारा स्वयंचालित मीटर का पूर्व भुगतान कर सकते हैं। जिन छः राज्यों को इससे अधिकतम लाभ हो सकता है उन से इस सुझाव के बारे में गहराई से चर्चा की जानी चाहिये।
5. प्रयास का यह सुझाव है कि बिजली के आबंटन का आधार २०० W भार और १ यूनिट प्रति घर प्रति दिन की खपत हो। पहले जैसे बताया गया है, इससे आपूर्ति किये हुये हर युनिट के पीछे वितरण कंपनियों को अतिरिक्त ३ यूनिट बेचने के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। इस से वितरण कंपनियों को केन्द्रीय मदद की जरूरत कम होगी। यह आकर्षक तो लगता है लेकिन असल में कितने यूनिट बेचने के लिए उपलब्ध होते हैं, इस से कितना राजस्व प्राप्त होता है यह अलग अलग वितरण कंपनियों के लिए अलग अलग होगा। और वह अधिक बारीकी से जांचना जरूरी है।
6. प्रयास ने यह भी सुझाव दिया है कि आज N T P C का जो हिस्सा किसी को आबंटित नहीं किया गया है वह इसी योजना के शीघ्र शुरुआत के लिए सुनिश्चित किया जाये। इसकी सावधानी से जांच करना जरूरी है। क्यो की N T P C का अनाबंटित हिस्सा किसी दूसरे कामो के किए आरक्षित हो सकता है। फिर भी दिलचस्पी लेनेवाले राज्यों में प्रायोगिक स्तर पर यह योजना जारी करने के लिए कुछ हद तक N T P C बिजली आबंटित हो सकती है। इसके अलावा निजी क्षेत्र में बन रही बिजली परियोजनाओं के पास अभी तक आबंटित नहीं किए हुए हिस्से को इस योजना के लिये इस्तेमाल किया जा सकता है।
7. विकेन्द्रित वितरित विद्युत निर्मिती का भी (DDG) ग्रिड को पूरक के रूप में महत्वपूर्ण योगदान है। ग्रिड की लगभग संपूर्ण पहुंच देखते हुये जहाँ ग्रिड अभी पहुँची नहीं वहाँ DDG से काम हो सकता है। जहाँ ग्रिड है वहाँ DDG ग्रिड में बिजली दे सकता है।
8. एक मत यह भी था कि कुछ वितरण कंपनियों को मौजूदा प्रकल्पों से या प्रस्तावित UMPP से सस्ती बिजली पहले से ही आबंटित है, फिर भी ग्रामीण इलाकों में हरदम बिजली उपलब्ध कराने में इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। यह भी बताया गया की २४ x ७ आपूर्ति की शर्त के बिना आबंटित सस्ती बिजली अधिक दाम देनेवाले ग्राहक को बेची जाती है ओर इस से वितरण कंपनियों की आर्थिक स्थिती में सुधार आने में मदद मिलती है। इसी लिए इस के आलावा जो सस्ती बिजली वितरण कंपनियों को दी जाएगी वही ग्रामीण इलाके में निरंतर बिजली आपूर्ति करने में वितरण कंपनियों को प्रोत्साहित कर सकती है।

9. बैठक में उभरे सुझावों और कुछ राज्यों से चर्चा के आधार पर इस प्रस्ताव का विचार कर कुछ राज्यों / जिलों में इस तर्ज पर प्रायोगिक रूप से कुछ योजनाओं को कार्यान्वित किया जा सकता है।
10. विद्युतीकरण की चुनौतियां पूर्व के राज्यों में ज्यादा होने से बिजली मंत्रालय और प्रयास, उन राज्यों में ऐसी ही एक परिचर्चा आयोजित करेंगे जिस में आगे की कारवाई की रूपरेखा तय की जाएगी।

उपसंहार

यह एक खुशी की बात है कि इस बैठक में विविध अनुभवों से संपन्न वरिष्ठ अधिकारी और मान्यवरों ने हिस्सा लिया और पूरे उत्साह के साथ अपना योगदान दिया। इससे “ सब के लिए बिजली ” के मार्ग की चुनौतियों को सुलझाने के प्रति सबकी प्रतिबद्धता महसूस होती है। हमें आशा है कि बिजली मंत्रालय और योजना आयोग इस सुझाव को आगे बढ़ाने की पहल करेंगे। प्रयास और पुणे इंटरनशनल सेंटर इसमें अपना योगदान देने के लिए सदैव तत्पर हैं।

हम इस बैठक का विस्तृत ब्यौरा बनाएंगे और आगे की चर्चा और कार्यवाही हेतु इस का व्यापक प्रसार करेंगे।

अधिक जानकारी और आपके सुझाव देने के लिए संपर्क करें।

प्रयास ऊर्जा समूह energy@prayaspune.org

पुणे इंटरनशनल सेंटर director@puneinternationalcentre.org

प्रयास ऊर्जा समूह द्वारा तैयार किया गया अंग्रेजी पर्चा और प्रस्तुती हमारे संकेत स्थल पर उपलब्ध हैं।